आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
c **13/01/2022**	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 आर0 पुनरीक्षण** 26/2016 नरेश प्रसाद अन्य बनाम राज्य तथा भूखला लिण्डा **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद में उपायुक्त, राँची द्वारा एस0आर0 अपील–115 R/15/2015-16 में पारित आदेश का चुनौती दी गयी है। जिसमें उपायुक्त द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी के मुआवजा भुगतान के आदेश को रद्द करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगतः वाद में मौजा–हीनू, खाता नम्बर–103 के प्लॉट नम्बर–1536 एवं 1537 में अवस्थित 08 कट्ठा, 09 छटांक भूमि का विषय सन्निहित है। उक्त पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–22.07.2016 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा विपक्षी का पता उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विपक्षी को नोटिस करने में विलम्ब हुआ। विपक्षी स्वयं ही इस न्यायालय में उपस्थित हो गये। किन्तु आवेदक दिनांक–17.03.2020 से लगातार अनुपस्थित रहे। उक्त तिथि के पश्चात् लगातार 08 तिथियों पर अनुपस्थिति के कारण आवेदकों को दिनांक–20.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया किन्तु उक्त तिथि को तथा उसके बाद पुनः दिये गये दिनांक–28.12.2021 तक एवं दिनांक–06.01.2022 को आवेदक अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत् भूमि का छप्पर बंदी होने का तथा भू–वापसी का दावा कालबाधित होने का दावा किया गया है। आवेदक द्वारा विशेष पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आदिवासी रैयत को मुआवजा का भुगतान भी किया जा चुका है। आवेदक का कथन है कि छप्पर बंदी होने के कारण प्रश्नगत् भूमि पर सीएनटी अधिनियम के तहत् कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अपितु यह विषय Transfer Property Act के तहत् आता है। उपायुक्त द्वारा अंचल अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत् वाद में अपील दायर कर उसकी सुनवाई करना पूर्णतः अनुचित है। अतः उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का आदेश दिया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होना है कि भूखला लिण्डा के आवेदन के आधार पर विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष भू–वापसीवाद प्रारम्भ हुआ। प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है तथा शनिचरवा उरांव के नाम से दर्ज है। विशेष पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि पर बनाये गये निर्माण की जाँच किये बिना धारा–71A के अन्तर्गत परन्तुक-II के तहत् मुआवजा भुगतान का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि प्रश्नगत्	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

भूमि का हस्तांतरण 1965 में अनाधिकृत तरीके से किया गया है। इसके पश्चात् भी मुआवजा भुगतान के माध्यम से विनियमन का आदेश पारित हुआ। उपायुक्त, न्यायालय द्वारा स्वयंप्रेरणा से इस आदेश के विरूद्ध सुनवाई की गयी, जिसमें लगातार नोटिस के पश्चात् भी आवेदकों की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया एवं अंततः उपायुक्त द्वारा एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों की तरफ से पुर्नविचार आवेदन दायर किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुये उपायुक्त द्वारा उक्त आवेदन को खारिज किया गया।

यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है, जिसे मूल क्रेता द्वारा सादा हुकुमनामा/बिक्री पत्र से प्राप्त किया गया है। ऐसे दस्तावेज की कानूनन मान्यता नहीं है। उपायुक्त द्वारा ऐसे कई मामलों में समीक्षा की गयी थी, जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा कानून की गलत व्याख्या करते हुये तथा तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये मुआवजा भुगतान की आदेश पारित किये गये थे। Schedule Area Regulation 1969 के पूर्व किये गये निर्माण की स्थिति में मुआवजा भुगतान के माध्यम से विनियमन का प्रावधान था किन्तु विशेष पदाधिकारी द्वारा ऐसे कई मामलों में आदिवासी रैयती भूमि को विनियमित कर दिया गया है। उपायुक्त के द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की माध्यम से निर्माण की जाँच करवाई गयी। उक्त जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि यह सभी निर्माण 1995 के बाद किये गये है। स्पष्टतः ऐसी स्थिति में आदिवासी रैयती भूमि को विनियमित करने का कोई आधार नहीं है। उपायुक्त के न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष विनियमन पदाधिकारी के स्तर से ऐसे सभी आदेश भ्रामक तथ्यों के आधार पर बिना उचित जाँच पारित किये गये है। इसी आधार पर उपायुक्त द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी के आदेश को रद्द करते हुये भूमि वापसी के आदेश पारित किये गये है। आवेदकों के द्वारा मात्र उनके बिक्री केवाला इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है किन्तु मूलतः आदिवासी भूमि पर बिक्री केवाला निबंधन ही अवैध है एवं विधि सम्मत नहीं है। वर्णित परिस्थिति में यह सभी बिक्री दस्तावेज कानून की नजर में Non-est. है। आवेदक इस न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त।

आयुक्त।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:13:54 +05:30
Location: 192.168.1.40